न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्री रमेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–53/2022
जीसीएमएस संख्या– 2022/37
आदेश दिनांक – 14.09.2023

1. गोपालाराम पुत्र पांचाराम जाति मेघवाल नि. ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
2. शेराराम पुत्र पांचाराम जाति मेघवाल नि. ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज.
3. रेवन्ती पत्नी पांचाराम जाति मेघवाल नि. ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज.

.........वादीगण

बनाम

1. छगनी पत्नी किसनाराम जाति मेघवाल नि. ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
2. उंकली पुत्री किसनाराम जाति मेघवाल नि. ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
3. जेठी पुत्री किसनाराम जाति मेघवाल नि. ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
4. दासाराम दत्तक पुत्र किसनाराम जाति मेघवाल नि. तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
5. लिछमणराम पुत्र खिराजाराम जाति मेघवाल नि. सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
6. राजुदेवी पत्नी स्व. पूर्णाराम जाति मेघवाल नि. सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
7. मेथीदेवी पत्नी सुखाराम जाति मेघवाल नि. साण्डवा तहसील वीदासर जिला चूरू राज.
8. गीतादेवी पत्नी पन्नाराम जाति मेघवाल नि. ग्राम साण्डवा तहसील वीदासर जिला चूरू राज.
9. सन्तुदेवी पत्नी वाबुलाल जाति मेघवाल नि. वार्ड न. 20 कस्वा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़

.........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

दावा घोषणात्मक, विभाजन, चिर निषेधाज्ञा हेतु

उपस्थितः–

1. श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल एडवोकेट वादी।
2. श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की ओर से
3. पेरोकार राज. राज्य पक्ष की ओर से

–: निर्णय :–

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादी संख्या 1 वादी संख्या 2 व 3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के संयुक्त कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग का एक खेत खसरा संख्या 178 रकबा 10.8873 हैक्टेयर रोही मौजा तेलाप में चली आ रही है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का अलग–अलग विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करें। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिस पर सुना गया।

वहस अन्तिम सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुए मुताविक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने भी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर कोई आपति जाहिर नहीं होने का अंकन आदेशिका पर किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का राजस्व रिकॉर्ड तथा तहसीलदार सुजानगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। संलग्न जमाबंदी सवत् 2074–2077 रोही तेलाप प्रदर्श–1 व खसरा नक्शा खसरा संख्या 178 रोही ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

तेलाप प्रदर्श–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि पर वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा किसनाराम पुत्र रावताराम का दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादगत भूमि खेत ख.स. 178 रकबा 10.8873 हैक्टेयर रोही ग्राम तेलाप पर 1/2 हिस्सा वादीगण तथा 1/2 हिस्सा मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है।

रेकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से पांति की भूमि का विभाजन करवा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार न्यायालय विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 178 तादादी 10.8873 हैक्टेयर रोही तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि में विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो

निर्णय आज दिनांक 15/09/23 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

(रमेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:01 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
व इजलास श्री रमेश कुमार, आर.ए.एस

गोपालाराम आदि बनाम छगनी आदि
राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 53 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री श्यामसुन्दर एड, व श्री ओमप्रकाश शर्मा. मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 178 तादादी 10.8873 हैक्टेयर रोही तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि में विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो

चीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमावी तक .... को अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख /५ माह ०१. 2023

दस्तखत ....

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुप	
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:01 IST
Reason: SelfAttested